राजस्थान सरकार
राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद, जोधपुर
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय परिसर, जोधपुर, W-6, रेजीडेन्सी रोड़ जोधपुर
Tel: 0291-2636072,2632359 Fax: 0291- 2632360,2632329
E-Mail: exam.dte.trg.raj@gmail.com

क्रमांक :प.सं.( )/प्र–5/RCVET/2011/ 170856 दिनांक: 13/9/11

परिपत्र

राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद(RCVET) की दिनांक 20.5.2011 को परिषद की द्वितीय बैठक की कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 22 में लिये गये निर्णय अनुसार परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु निर्धारित दंड संहिता 1985 जो वर्तमान संदर्भ में अप्रभावी साबित हो रही है, में संशोधन बाबत् गठित विभागीय कमेटी की अनुशंषा के आधार पर संशोधित दण्ड संहिता का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया ,जों निम्नानुसार है:–

राजस्थान व्यावसायिक शिक्षा एंव प्रशिक्षण परिषद, जोधपुर द्वारा आयोजित परीक्षाओं हेतु परीक्षा दण्ड संहिता

क्र. सं.	अनुचित साधन का प्रकार	प्रस्तावित दण्ड
1	1.1 परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अथवा परीक्षा संबंधी क्षेत्र में निरीक्षक/ परीक्षा केन्द्र अधीक्षक/ अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों की(मौखिक अथवा लिखित) पालना नहीं करना। 1.2 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के पीछे दिये गये निर्देशों एंव उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के आगे या पीछे दिये गये निर्देशों की पालना नही करना। 1.3 परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा के समय परीक्षा कक्ष या परीक्षा संबंधी क्षैत्र (संस्थान) में किसी अन्य परीक्षार्थी/व्यक्ति से बातचीत अथवा संकेत करना। 1.4 परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में अपना नाम, पता, फोन नं. या अन्य किसी प्रकार की पहचान अंकित करता है या उत्तीर्ण करने हेतु आग्रह करना। 1.5 प्रश्न पत्र पर उत्तर लिखना। 1.6 उत्तर पुस्तिका आपस में बदलना/उसमें लिखना। 1.7 प्रश्न–पत्र को हल करने में मोबाईल अथवा इलैक्ट्रोनिक्स उपकरण का उपयोग करना।	परीक्षार्थी ने जिस दिन/पारी की परीक्षा में अनुचित साधन अपनाया है उक्त परीक्षा निरस्त की जावेगी। यद्यपि परीक्षा में बैठने का यह अन्तिम अवसर हो।
2	2.1 यदि परीक्षार्थी से पकड़े गये अनुचित साधन का उस दिन के प्रश्न पत्र/विषय से सीधा संबंध है। 2.2 परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों द्वारा उत्तर पुस्तिका या उसके किसी भाग या अन्य नकल सामग्री का आदान प्रदान करते हुए पाया जाना। 2.3 परीक्षक द्वारा परीक्षार्थी/परीक्षार्थियों के संबंध में अनुचित साधन अपनाने की सूचना प्राप्त होने के पश्चात जांच करने पर पुष्टि होना। 2.4 यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष मे अनुचित साधनों के उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर परीक्षा केन्द्र अधीक्षक द्वारा भरवाये जाने वाले प्रपत्रों को भरने से या हस्ताक्षर करने से इंकार करना।	परीक्षार्थी की उक्त विषय की वर्तमान परीक्षा को निरस्त करते हुए आगामी एक परीक्षा में भी बैठने नहीं दिया जायेगा, यद्यपि परीक्षा में बैठने का यह अन्तिम अवसर हो।
3	3.1 यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से उतर पुस्तिका या उसका भाग छीनने का प्रयास करता है या/तथा स्वंय की या अन्य किसी परीक्षार्थी की उतर पुस्तिका फाड़ देना। 3.2 यदि कोई परीक्षार्थी दूसरे परीक्षार्थियों को परीक्षा के बहिष्कार करने के लिए उकसाना। 3.3 निरीक्षक/परीक्षा केन्द्र अधीक्षक/अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र	परीक्षार्थी की वर्तमान उक्त विषय की परीक्षा को निरस्त करते हुए आगामी लगातार दो परीक्षाओं में बैठने नहीं दिया जायेगा। यद्यपि परीक्षा में बैठने का यह अन्तिम अवसर हो।

	अधीक्षक/वीक्षक द्वारा अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पकड़े जाने पर यदि परीक्षार्थी अनुचित सामग्री को नष्ट करने का प्रयास करना। 3.4 यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में स्वंय की या अन्य किसी परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका बाहर ले जाना। 3.5 आवेदन–पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर परीक्षा में प्रवेश पाना। 3.6 अन्य परीक्षार्थी का छद्म रूप धारण करना अथवा परीक्षार्थी स्वयं के स्थान पर अन्य व्यक्ति को परीक्षा कक्ष में परीक्षा देने भेजना।	
4.	यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष तथा संस्था परिसर में नकल करने के उद्देश्य से निरीक्षक/परीक्षा केन्द्र अधीक्षक/अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र अधीक्षक/वीक्षक/अन्य किसी भी व्यक्ति जो परीक्षा कार्य से संबंधित है के साथ परीक्षा से पहले/परीक्षा के दौरान/परीक्षा की पहली पारी व दूसरी पारी के मध्य/दोंनों पारी की परीक्षा समाप्ति पश्चात परीक्षा कक्ष तथा संस्था परिसर में (क) अभ्रदता,दुंव्यवहार करना/धमकी देना या दिलाना। (ख) दंगा फसाद या उत्पात करता है, या हाथापाई मारपीट करता है या उसमें सम्मिलित होता है या किसी प्रकार का घातक हथियार अपने पास रखना।	(क) परीक्षार्थी की वर्तमान समस्त विषय की परीक्षा को निरस्त करते हुए आगामी एक परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा। यद्यपि परीक्षा में बैठने का यह अन्तिम अवसर हो। (ख) वर्तमान में समस्त विषयों की पूरी परीक्षा को निरस्त करते हुए आगामी दो परीक्षाओं में बैठने नहीं दिया जायेगा। यद्यपि परीक्षा में बैठने का यह अन्तिम अवसर हो।

नोट :–

1. सामूहिक नकल के प्रकरण में उपरोक्त दण्डो में से कोई भी दण्ड अनुचित साधन जांच कमेटी द्वारा दिया जा सकेगा।
2. परीक्षा कार्य से सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को किसी भी स्तर पर परीक्षा परिणाम प्रभावित करने हेतु किया गया प्रयास अनुचित साधानों के अन्तर्गत माना जायेगा, अनुचित साधन जांच कमेटी के निर्णयानुसार दण्डनीय होगा।
3. अनुचित साधन वे समस्त साधन है जिनका उपयोग परीक्षार्थी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परीक्षा में नकल करने के उद्देश्य से करता है या करने की संभावना हो सकती है।
4. जिन अनुचित साधनों का प्रमाण संलग्न नही किया जा सकता है उसके लिये निरीक्षक/परीक्षा अधीक्षक/अतिरिक्त परीक्षा अधीक्षक/वीक्षक की लिखित रिपोर्ट पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा।
5. आवश्यकता पड़ने पर उपरोक्त नियमों के अलावा अपराधिक कार्य की प्रथम सूचना रिपार्ट की कार्यवाही परीक्षा केन्द्र अधीक्षक द्वारा की जायेगी।
6. उपरोक्त नियमों व दण्ड सारणी के दायरे में नहीं आने वाले मामलों में अनुचित साधन जांच कमेटी को दण्ड देने का अधिकार होगा।
7. परीक्षा से तात्पर्य सैद्वान्तिक/प्रायोगिक जिनमें मुख्य व पूरक परीक्षाये शमिल है।

उक्त दंड संहिता एनसीवीटी मुख्य परीक्षा जुलाई 2011 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया।

निदेशक,प्रशिक्षण एवं सदस्य सचिव,
राजस्थान व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद,
जोधपुर

क्रमांक :प.सं. ( )/प्र–5/RCVET/2011/ 170858-61 दिनांक: 13/9/11

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशेषाधिकारी, तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय,जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक व शिक्षुता सलाहकार, बनीपार्क जयपुर।
3. उपनिदेशक,(प्रशिक्षण) प्राविधिक शिक्षा,क्षैत्रीय कार्यालय, जयपुर /कोटा /जोधपुर/अजमेर/ बीकानेर / उदयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी/उपनिदेशक,मुख्यालय, टी–1/2/3/4/5/6,ई–4 मुख्यालय,जोधपुर
5. आचार्य/अधीक्षक औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान,.............................।

निदेशक,प्रशिक्षण एवं सदस्य सचिव,
राजस्थान व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद,
जोधपुर